DAKRC

ऑ.ओ.सी.संख्या 676

दिनांक - 21.11.2023

विषय/ Subject - हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत फरवरी- जुलाई 2023 सत्र में आयोजित हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बारह (12) माह हेतु एक वेतन वृद्धि की राशि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्रदान करने के संबंध में ।

Disbursement of the personal pay equal to the amount of one increment for the period of twelve (12) months for passing the Hindi Typing exam under HTS for the session February- July 2023 – regarding

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना, भुवनेश्वर के पत्र संख्या 03/1/2022-23/सकाभाअ/(हिंट/आ)818 दिनांक 05.01.2023 में उल्लेखित वितीय प्रोत्साहन के प्रावधान के अनुसार, प्रधान महालेखाकार (लेप.-I) महोदय ने निम्नलिखित कर्मचारीगण को फरवरी- जुलाई 2023 सत्र में आयोजित हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उनके नाम के आगे अंकित तिथि से प्रभावी बारह (12) महीने की अवधि के लिए उनके वेतनमान में एक वेतन वृद्धि की राशि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्रदान करने की सहर्ष संस्वीकृति प्रदान की है। कर्मचारीगण का विवरण निम्नानुसार हैः-

In pursuance of provisions contained in Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Hindi Teaching Scheme, Bhubaneswar letter No. 03/1/2022-23/सकाभाअ/(हिंट/आ)818 dated 05.01.2023 in respect of financial incentive, the Pr. Accountant General (Audit-I) has been pleased to sanction the personal pay equal to the amount of one increment for the period of twelve (12) months to the following officials from the date mentioned against their name for passing Hindi Typing exam under HTS in the session February- July 2023. The details of the officials are as follows:

परीक्षा परिणाम की घोषित तिथि -31.08.2023

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (सुश्री/ श्रीमती/ श्री)	पदनाम	अनुभाग	प्रभावी तिथि
1.	आनंद गौड़ / Ananda Gour	लेखापरीक्षक	कार्यालय प्रबंधन -I	01.12.2023
2.	परेश चंद्र मुर्मू / Paresh Chandra Murmu	लेखापरीक्षक	कार्यालय प्रबंधन -I	01.12.2023
3.	पल्ली चिरंजीव / Palli Chiranjeev	लिपिक	कार्यालय प्रबंधन -I	01.12.2023
4.	आदि नारायण टोम्पा / Adi Narayana Tompa	लिपिक	कार्यालय प्रबंधन -I	01.12.2023
5.	अमर प्रसाद साहू / Amar Prasad Sahoo	लिपिक	संपदा	01.12.2023

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

Sr. Deputy Accountant General (Admn)

पत्रांक - हिंदी [illegible]

प्रतिलिपि, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित :
Copy forwarded for information and necessary action:

01. उपनिदेशक - लेखापरीक्षा (वित्त एवं नियंत्रण), कटक
The Deputy Director- Audit (Finance and Control), Cuttack

02. शाखाधिकारी- प्रशासन / Branch Officer – Admn

03. शाखाधिकारी- कार्यालय स्थापना (उपरोक्त अधिकरी/ कर्मचारी को उनके नाम के आगे अंकित तिथि से प्रभावी 12 (बारह) महीने की अवधि के लिए उनके वेतनमान में एक वेतन वृद्धि की राशि के बराबर वैयक्तिक वेतन सुनिश्चित करने के निवेदन सहित)

Branch Officer –Office Establishment (With a request to ensure disbursement of personal pay equal to the amount of one increment to the above officer/ employee in his pay scale for a period of 12 (twelve) months with effect from the date indicated against his name).

04. सर्वसंबंधित/ All concerned.

05. शाखाधिकारी, डी.ए. एवं आर.सी से अनुरोध है कि कृपया इस ओओसी को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
The Branch Officer i/c DA&RC is requested to kindly upload this OOC to our official website.

06. सूचना पट्ट/कार्यालय आदेश गार्ड फाइल
Notice Board / Office order guard file

07. अतिरिक्त प्रतिलिपि
Spare copy

आशुतोष

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/राजभाषा अनुभाग
Sr. Audit Officer/ Rajbhasha Section

संख्या/N0: 03/1/2022-23/सकाभाअ/(हिटं/आ)/818

940

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

हिंदी शिक्षण योजना हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण

HINDI TEACHING SCHEME, HINDI TYPING/STENOGRAPHY TRAINING

सर्वकार्यभारी अधिकारी का कार्यालय, भारत संचार निगम लि0

O/o The Officer in over-all charge, Bharat Sanchar Nigam Ltd.

यूनिट-2, अशोक नगर,Unit-2, Ashok Nagar,भुवनेश्वर/Bhubaneswar-09

दिनांक/Date-05.01.2023

भुवनेश्वर-751009

(अनुलग्नक "क")

सेवा मे,

सभी संपर्क अधिकारी (हिंदी)

कार्यालय प्रमुख/निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/प्रबंधक(राजभाषा), प्रशासनिक अधिकारी, सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम/निगम, निकाय तथा राष्ट्रीयकृत बैंक इत्यादि भुवनेश्वर।

विषयः-हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं आशुलिपि दीर्घकालिक ऑफलाइन प्रशिक्षण - सत्र फरवरी- **2023.**

महोदय/महोदया,

कोविड महामारीजनित परिस्थिति में सुधार को देखते हुए हिंदी शिक्षण योजना राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण का आगामी सत्र फरवरी, 2023 से भुवनेश्वर स्थित केंद्र पर ऑफलाइन संचालित किया जाएगा।

प्रशिक्षार्थियों का कक्षाओं में प्रवेश दिनांक-13-14 फरवरी 2023 (प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे) को होगा। "प्रवेश पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर होगा। नियमित कक्षाएं 17 फरवरी 2023 से आरंभ होगी। कृपया उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए पात्र कार्मिकों का नामांकन निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक "ख") में पूर्ण विवरण देते हुए 31 जनवरी 2023 तक सीधे प्रशिक्षण केंद्र के **प्रभारी श्री आर.बी.पासवान सहायक निदेशक (टं/आ.)हिंदी शिक्षण योजना, प्रशिक्षण स्थानः-महालेखाकार का कार्यालय, ओडिशा, भुवनेश्वर-751001. (मोबा0 न0-8917507076, ई-मेल आई-डी-rbpaswan26@gmail.com)** को भेजना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षार्थियों की कक्षा में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधान का होगा। हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है.

हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारीः-

पाठ्यक्रम का नाम	हिंदी आशुलिपि
अवधि	फरवरी 2023 से जनवरी 2024 तक प्रतिदिन 01 घंटा
परीक्षा	जनवरी, 2024 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में
हिंदी में योग्यता	हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ

पात्रताः केवल उन्हीं अधिकारियो/कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है।

अनिवार्यः सभी वर्गों के अंग्रेजी आशुलिपिकों, वेयक्तिक सहायकों तथा निजी सचिवों हेतु।

स्वैच्छिकः

हिंदी टंकण जानने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/कनि. सचिवालय सहायकों/टंककों को भी कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है बशर्ते संबंधित विभाग/कार्यालय यह प्रमाणित करे कि उस कर्मचारी को हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किया जाएगा । परंतु ये कर्मचारी परीक्षा उतीर्ण करने पर किसी प्रकार के वितीय लाभ/प्रोत्साहन के हकदार नहीं होंगे।

"

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी:-

पाठ्यक्रम का नाम	हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण
अवधि	फरवरी 2023 से जुलाई 2023 तक, प्रतिदिन 01 घंटा
परीक्षा	जुलाई 2023 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में
हिंदी में योग्यता	हिंदी के साथ आठवीं या उसके समकक्ष कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण

पात्रता: केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

अनिवार्य: सभी अंग्रेजी टंककों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/ अवर श्रेणी लिपिकों, डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूरसंचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायको, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों, डाटा एंट्री ऑपरेटरो आदि के लिए , इसके अलावा इसमें ग्रुप "ग" के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं।

स्वैच्छिक:

1.वर्तमान में सहायकों/सहायक अनुभाग अधिकारियों, उच्च (प्रवर) श्रेणी लिपिकों/वरिष्ठ सचिवालय सहायकों तथा हिंदी अनुवादको/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों/वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, अतः इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर प्रवेश दिया जा सकता है। ये कर्मचारी हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी प्रकार के वितीय लाभ/वितीय प्रोत्साहन आदि के हक़दार होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि। (देखे का.ज्ञा.संख्या 12016/2/78-रा.भा.(डी), दिनांक-10.01.1979)

2. सभी वर्ग के अन्य अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी हैं, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, किंतु वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वितीय लाभ/वितीय प्रोत्साहन आदि के हक़दार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नगद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि होंगे, जैसे कि वेयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार आदि।

वितीय प्रोत्साहन

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन पाने के हक़दार होंगे।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 26 जुलाई,2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/08/2017-रा.भा(प्रशि.) के अनुसार अराजपत्रित अंग्रेजी आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि परीक्षा में 70% अंक तथा राजपत्रित अंग्रेजी आशुलिपिक 75% अंक प्राप्त करने पर ही वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे।
- जिन अंग्रेजी आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है उन्हें निर्धारित शर्तें पूरी करने पर हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर दो वेतन-वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 किमी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग व्यय देय है.
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी अधोलिखित तालिका के अनुसार नगद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे। वैयक्तिक वेतन/नकद पुरस्कार आदि का भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है:-

(438)

हिंदी आशुलिपि

1.	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु. 2400
2	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 1600
3	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 800

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1.	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु. 2400
2	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 1600
3.	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 800

(अनुलग्नक "ग")

परीक्षा शुल्कः

यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निःशुल्क है, किंतु केंद्र सरकार के निगमों/निकायों/उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए प्रति कर्मचारी रु. 100/- की दर से परीक्षा शुल्क देय है। शुल्क का भुगतान ड्राफ्ट द्वारा या अनुलग्नक "ग" पर उल्लिखित तिथि के अनुसार "उपनिदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली/Deputy Director(Exam), Hindi Teaching Scheme, New Delhi" को ऑनलाइन किया जा सकता है।

नामांकन विधि

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विवरण निर्धारित नामांकन प्रपत्र (अनुलग्नक "ग") में दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक सीधे संबंधित प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही भेजा जाए। नामित करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नंबर तथा ई-मेल आई-डी का पत्र में स्पष्ट उल्लेख अवश्य किया जाए ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या भी अनुलग्नक ("घ") में अवश्य दर्शाई जाए।
- प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को प्रवेश लेने हेतु अलग से कोई पुष्टि पत्र नहीं भेजी जाएगा। संबंधित प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) द्वारा प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को दाखिला देने की लिखिक सूचना दी जाएगी, जिसे संबंधित कर्मचारी अपने कार्यालय में सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे ताकि संबंधित कार्यालय द्वारा प्रवेश न लेने वाले कर्मचारी के संबंध में यथोचित कार्रवाई समय पर की जा सके।

विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए नामित कर्मचारी कक्षाओ में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हो ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

नोटः- कृपया नामांकन फार्म पूर्ण विवरण देते हुए उपरलिखित प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी श्री आर.बी.पासवान, सहायक निदेशक (टं/आ.) हिंदी शिक्षण योजना, के ईमेल आईडी-rbpaswan26@gmail.com पर ही भेजें।

भवदीय,

पी. के. महापात्र 06.01.2023

(पी.के.महापात्र)

सर्वकार्यभारी अधिकारी

हिंदी शिक्षण योजना, भुवनेश्वर

सर्वकार्य भारी अधिकारी

हिन्दी शिक्षण योजना, भुवनेश्वर

हिंदी प्रकोष्ठ (लेखापरीक्षा-1)/ Hindi Cell (Audit-I)
आवक सं/ Inward Dy. No. 2013 (441)
दिनांक/ Date 21/10/2023

भारत सरकार
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

सर्वकार्यभारी अधिकारी का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, भुवनेश्वर
मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार, भारत संचार निगम लिमिटेड कार्यालय, ओडिशा, भुवनेश्वर-751009
प्रशिक्षण स्थान- हिंदी शब्द संसाधन/टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार ओडिशा, भुवनेश्वर

सं0-टं/आ/हिशियो/भुव/829 दिनांक-18/09/2023

सेवा में

कार्यालय प्रमुख/संपर्क अधिकारी (हिंदी)
महालेखाकार, लेखा परीक्षा-1 का कार्यालय
ए.जी. चौक, भुवनेश्वर-751001

विषय:-जुलाई-2023 में आयोजित हिन्दी टंकण परीक्षा का परिणाम.
परीक्षा परिणाम घोषित तिथि-31.08.2023

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयानुसार उपनिदेशक पूर्व के पत्र सं.-उ.नि.(पूर्व)12/3/2023, दिनांक-11/09/2023 के अनुक्रम में हिन्दी टाइपलेखन (दीर्घकालिक) परीक्षा में सम्मिलित हुए आपके विभाग/ कार्यालय के कर्मचारियों का परिणाम निम्नलिखित है.

अनुक्रमांक	श्री/श्रीमती/कुमारी परीक्षार्थी नाम, पदनाम, पिता/पति का नाम	प्रश्नपत्र-1 50	प्रश्नपत्र-2 50	प्रश्नपत्र-3	टंकण गति (KDPH)	प्राप्तांक पूर्णांक (1+2)	परिणाम	श्रेणी
T12050-04 00858	आनन्द गौर लेखा परीक्षक, चंदन गौर	48	44	33.8	10140	92	उत्तीर्ण	प्रथम विशेष
T12050-04 00859	परेश चंद्र मुर्मु लेखा परीक्षक सुबोध चंद्र माझी	48	34	31.8	9540	82	उत्तीर्ण	प्रथम विशेष
T12050-04 00860	पल्ली चिरंजीव कलर्क, पी.अप्पा रॉव	48	29	30.8	9240	77	उत्तीर्ण	प्रथम
T12050-04 00861	आदिनारायाण टोम्पा कलर्क, ऐराय्या टोम्पा	42	37	32.3	9690	79	उत्तीर्ण	प्रथम
T12050-04 00862	अमर प्रसाद साहु कलर्क, अशोक कुमार साहु	46	47	34.3	10290	93	उत्तीर्ण	प्रथम विशेष

1. जिन परीक्षार्थियों ने पूर्णांक 100 अंको में से 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं वे नकद पुरस्कार पाने के हकदार हैं। बशर्ते कि वे राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा विहित अन्य शर्तें पूरी करते हो।

2. राजभाषा विभाग के दैनिक 23 मार्च 1985 के पत्र संख्या 14017/10/79-रा.भा.(घ) के अनुसार हर परीक्षार्थी के टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दोनों प्रश्न पत्रों में अलग-अलग कम से कम 25-25 अंक प्राप्त करने होंगे तथा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के दिनांक-11 सितंबर 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-22011/267/2015/केहिप्रसं/आ0वि0(टं-आ0)/3118 के अनुसार प्रश्न पत्र द्वितीय (गति परीक्षा) में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट (9000 KDPH) की गति निकालनी होगी जो परीक्षार्थी टंकण परीक्षा में किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित होंगे उन्हें उस प्रश्न पत्र के लिए पूरक परीक्षार्थी घोषित किया जाएगा। पूरक परीक्षार्थी को केवल अगले सत्र की पूरक परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। 3. प्रथम श्रेणी विशेष प्रवीणता के साथ 80 प्रतिशत अंक या उससे अधिक। प्रथम श्रेणी - 70 से 79 प्रतिशत अंक।, द्वितीय श्रेणी-60 से 69 प्रतिशत अंक।, तृतीय श्रेणी-50 से 59 प्रतिशत अंक। अनुतीर्ण 50 प्रतिशत से कम प्राप्त अंक। कृपया विशेष जानकारी प्रशिक्षण केंद्र के सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिन्दी शिक्षण योजना, भुवनेश्वर, मो. 8917507076 से तत्काल संपर्क करने का कष्ट करें।

हस्ता/-
सर्वकार्यभारी अधिकारी

18/09/23
सहायक निदेशक
हिंदी शिक्षण योजना, भुवनेश्वर
Assistant Director (Type/Stenography)

सं 21034/66/2010-रा0भा0 (प्रशि0)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक जुलाई, 2011

29 JUL 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय: हिंदी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और आशुलिपि परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन-नकद पुरस्कार की राशि में वृद्धि तथा निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एकमुश्त पुरस्कार की राशि में वृद्धि।

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 16.08.2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/34/2007-रा0भा0 (प्रशि0) में आंशिक संशोधन करते हुए नकद पुरस्कारों/ एकमुश्त पुरस्कार की राशि को निम्न दरों से बढ़ाने का निर्णय लिया गया है:-

I	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा परीक्षा	वर्तमान नकद पुरस्कार की राशि	संशोधित नकद पुरस्कार की राशि
क	प्रबोध		
1	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-	₹ 1600/-
2	60 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 400/-	₹ 800/-
3	55 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 200/-	₹ 400/-
ख	प्रवीण		
1	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 1200/-	₹ 1800/-
2	60 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-	₹ 1200/-
3	55 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 400/-	₹ 600/-
ग	प्राज्ञ		
1	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 1200/-	₹ 2400/-
2	60 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-	₹ 1600/-
3	55 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 400/-	₹ 800/-

II	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण और आशुलिपि परीक्षाएं	वर्तमान नकद पुरस्कार की राशि	संशोधित नकद पुरस्कार की राशि
क	**हिंदी टंकण**		
1	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 1200/-	₹ 2400/-
2	95 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-	₹ 1600/-
3	90 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 400/-	₹ 800/-

ख	हिंदी आशुलिपि		
1	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 1200/-	₹ 2400/-
2	92 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-	₹ 1600/-
3	88 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 400/-	₹ 800/-

III	निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं	वर्तमान एकमुश्त पुरस्कार की राशि	संशोधित एकमुश्त पुरस्कार की राशि
1	हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा	₹ 1000/-	₹ 1600/-
2	हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा	₹ 1000/-	₹ 1500/-
3	हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा	₹ 1200/-	₹ 2400/-
4	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण परीक्षा	₹ 800/-	₹ 1600/-
5	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा	₹ 1500/-	₹ 3000/-

टिप्पणी - जो प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, टंकण और आशुलिपि परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं, उनको एकमुश्त पुरस्कार के अलावा नकद पुरस्कार प्रदान करते समय निर्धारित किए गए प्रतिशत से 5 प्रतिशत अंक कम प्राप्त करने पर भी नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

2 नकद पुरस्कारों एवं एकमुश्त पुरस्कारों की देयता के संबंध में अन्य सभी शर्तें वही होंगी, जो पहले जारी किए गए आदेशों में निहित हैं।

3 यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से उनकी दिनांक 29.06.2011 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या 14(9)/ई.II(ए)/2007 के अनुसार जारी किया जा रहा है।

4 यह कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तारीख से मान्य होगा।

(सुधीर कुमार मल्होत्रा)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)।
2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:

1. गृह मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालय।
2. सभी संघ शासित क्षेत्र।
3. गृह मंत्रालय व राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग/डैस्क।
4. निदेशक, कैंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, सीजीओ कांप्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
5. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को उनकी दिनांक 29.06.2011 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या 14(9)/ई.II (ए)/2007 के संदर्भ में।
6. अतिरिक्त 100 प्रतियां।